IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण मे बिहार सरकार की भूमिका

राज दीपक ओम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

लिंग भेद एक वैश्विक तथ्य है। घर के अंदर की बात हो या बाहर की दोनो स्थानो पर महिलाओं को सता केन्द्र से वंचित रखा जाता है। यह व्यवस्था आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक चला आ रहा है। इसमें भले ही प्रतिशत का अंतर हो सकता है लेकिन कमोवेश आज भी जारी है। हालांकि अधिकांश देशों मे महिलाओं को स्वतंत्रता और अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किये गये है, फिर भी उनकी स्थिति और दशा मे भरपुर सुधार नही हुआ है। भारत जैसे विकासशील देश मे जहाँ नारियों की आबादी लगभग 50% है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है। मैथिलीशरण गुप्त की कविताः–

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।

आँचल में है दुध और आँखो में पानी"।

यह दर्शाता है कि भारतीय नारी बिलकुल आबला और कमजोर यानी शक्तिहीन होती है। वास्तव में वर्तमान समय में भारतीय महिलाएँ घर की चहारदिवारी तक ही सीमित रह रही है। हालांकि लगभग चार दशको से कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब भारतीय नारिया शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रही है और सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं में हिस्सा ले रही है। रेलवे, बैंक, डाकघर, पुलिस, सेना, अर्द्धसेना, वायुसेना, जलसेना मे अच्छे–अच्छे पदो पर नियुक्त हो रही है। विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, समाजसेवा के क्षेत्र में भी आगे आ रही है।

प्राचीन भारतीय समाज की संरचना के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समाज में नारियों की दशा और स्थिति सम्मानजनक थी, खास कर हिन्दू समाज मे स्त्रियो को अनेक अधिकार प्राप्त रहे है और उनकी सामाजिक स्थिति उच्च रही है।

नारियों को शक्ति, ज्ञान और सम्पति का प्रतीक माना गया है। साथ ही साथ उनकी पूजा भी होती रही है जैसे– दुर्गा की पूजा शक्ति रूप में, सरस्वती की पूजा ज्ञान के रूप में और लक्ष्मी की पूजा सम्पति के रूप में। ये पूजा आज भी पूरे देश मे श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जाती है। समाज में पुरूष के अभाव मे स्त्री को तथा स्त्री के अभाव में पुरूष को अपूर्ण माना जाता है। इसीलिए समाज मे नारी को पुरूष की अर्द्धांगिनी कहा गया है। प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है:–

''यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।

यत्रेतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्थाफलाः क्रियाः।।''

अर्थात जहाँ नारियो की पूजा होती है, आदर किया जाता है, वहाँ देवता का निवास होता है तथा इसकी अनुपस्थिति में सभी कार्य असफल या पुण्यरहित हो जाते है।

महिलाओं की स्थिति में गिरावट ईसा के तीसरी शताबदी से आने लगी और आज भरी जारी है। इस काल मे स्त्रियां परतंत्र निस्सहाय एवं निर्बल माने जाने लगी। इस समय सम्मानित परिवार की विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नही मिलती थी। इस काल मे पतिव्रत का एकतरफा रिवाज शुरू हो गया। स्त्रियों की स्थिति मे गिरावट के लिए धर्मगुरूओं और शास्त्रकारो को जिम्मेदार माना गया। स्वयं मनु ने कहा है कि 1. ''स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र रहने के योग्य नही है। 2 इसी प्रकार स्त्री को समपति से वंचित रखने का भी निदेश किया गया है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है ''स्त्री को धन सम्पदा का अधिकार नही है।''3 11 वी शताब्दी में तो भारत मे मुगलो का शासन स्थापित हो गया और हिन्दु समाज में नारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लग गये। मुस्लिमों का समाज मे दबदबा और अत्याचार इतना बढ़ गया कि हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए महिलाओ को अनेक अधिकारो से बंचित कर दिया गया। सम्पति के अधिकार और शिक्षा के अधिकार से बंचित किया गया। सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया और अनेको विधवाओं को सती होने के लिए जोर जबर्दस्ती किया गया। जिसमे राजाराम मोहन राय की भाभी शामिल है। सती प्रथा के पुनः प्रचलन, पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध, प्रदा–प्रथा के विस्तार, बहु–विवाह की व्यापकता आदि ने उसकी स्थिति को नीचे गिरा दिया। ब्रिटीश काल में भी नारियों की स्थिति मे सुधार नही हुआ। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में स्त्रियों को अधिकार नही था। हालांकि इस काल मे राजाराम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बन गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में अनेक व्यवस्थाएँ की गयी। गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक कार्य कर्ताओं, महिला संगठनो द्वारा भी नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास किये गये, आन्दोलन भी किये गये और आज भी किये जा रहे है। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी उपाय किये जा रहे है फिर भी इनकी दशा और स्थिति में भरपुर बदलाव नही आया है। हालांकि कुछ स्तर तक बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज महिलाएँ अनेक क्षेत्रों में पुरूषों के समान सेवाएँ दे रही है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों मे क्लास I से लेकर क्लास IV तक भर्ती हो रही है। पुलिस सेवा, सैन्य सेवा, बैंकिग सेवा, रेलवे सेवा, डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला, वाणिज्य, संचार मिडीया आदि क्षेत्रों मे उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। इन भूमिकाओं से साबित हो रहा है कि की नारियों मे सशक्तिकरण हो रहा है। यह सशक्तिकरण भले ही अभी संतोषजनक नही कहा जा सकता लेकिन उनमे जागृति आ रही है और आशा की जा सकती है कि अगले दस–बीस सालो में वे अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर ले।

दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि देश मे महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न भी जारी है। आये दिन महिलाएँ यौन उत्पीड़न के शिकार हो रही है। उनके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या, छेड़–छाड़, छींटाकसी की घटनाएँ सामने आ रही है। दहेज हत्या, तीन– तलाक, बाल–विवाह की घटनाएँ आज भी हो रही है, जबकि तीनो के विरूद्ध कानुन भी बन गये है। गैंगरेप के दोषियों को प्राणदंड और आजीवन कारावास की सजा भी दी जा चुकी है लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएँ हो रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, खासकर कृषि कार्य में लगी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्त्रोत (मजदूरी) समाप्त हो रहे है, क्योंकि फसलो की बुआई, रोपनी, कटनी के लिए कृषि यंत्रो का प्रयोग हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार बुआई और कटाई मे लगभग 90% मशीनो का सहारा लिया जा रहा है जिससे मजदूरो को आय के स्त्रोत से बंचित होना पड़ रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गये कदमः–

महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा किये गये उपायों के पहले केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों का अध्ययन वांछित है क्योंकि बहुत से कार्यक्रमों मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारो की हिस्सेदारी 50–50, 80–20 या 75–25% निर्धारित है। महिलाओं की दशा मे सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई संवैधानिक प्रावधान किये गय यथा। '' 1976 का समान पारिश्रमिक कानून, हिन्दू विवाह कानून 1955 संशोधन 1976 दहेज निषेध कानून 1961 जिसमें 1984 में संशोधन 1976 का बाल–विवाह नियंत्रण कानून, 1990 का राष्ट्रीय महिला आयोग कानून।'' इसके अलावे बहुत से महिला कल्याण के लिए कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित किये गये है जिनमे प्रमुख हैः–

- ❖ रोजगार और आय बढ़ाने वाले उत्पादन इकाईयाँ।
- ❖ संकटग्रस्त्र महिलाओं का पुनर्वास योजना।
- ❖ महिलाओं और लड़कियों के अल्पावास गृह योजना।
- ❖ महिलाओ पर अत्याचार की रोक थाम के लिए शिक्षात्मक कार्यक्रम।
- ❖ महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता।
- ❖ महिला विकास निगम।
- ❖ प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करना।
- ❖ राष्ट्रीय महिला आयोग।
- ❖ स्वानियोजित महिलाओ और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाएँ के लिए राष्ट्रीय आयोग।
- ❖ महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष।
- ❖ महिला और बाल विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनो के लिए सहायता अनुदान।
- ❖ स्वयंसेवी संगठनो को वितीय सहायता।
- ❖ ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए जागृति विकास परियोजनाएँ।
- ❖ प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
- ❖ सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम।
- ❖ कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल।
- ❖ महिला मंडल।
- ❖ उज्जवला योजना।
- ❖ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।

इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से देश में महिलाओं को सशक्त करने का सफल प्रयास किया गया है।

बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गये कदमः–

बिहार राज्य के विभाजन के बाद सम्पूर्ण खनिज सम्पदा झारखण्ड के क्षेत्र में चला गया और राज्य में खनिज के नाम पर केवल पत्थर और बालू ही रह गया। इसलिए बिहार मे मात्र कृषि ही आय का एक मात्र स्रोत रह गया है। इसका उद्योग पर कोई खास निवेश नही हो रहा है। कृषि कार्य में भी अब मशीनों का उपयोग होने के कारण महिलाओं को रोजी–रोजगार नही मिल रहा है। ज्ञातव्य हो कि बिहार में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। 2005 के पूर्व बिहार मे सबसे ज्यादा उत्पीड़न

महिलाओ का हो रहा था। प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएँ समाचार–पत्रों में देखने को मिल रहा था। शराबियो द्वारा महिलाओं से छेड़–छाड़, बदसलुकी, छींटाकसी की घटनाएँ आम बात हो गयी थी। शराबी पति द्वारा पत्नियों की पिटाई रोजमर्रा की जिन्दगी बन गयी थी। पत्नियाँ पति के विरूद्ध थानो में शिकायत लेकर पहुँचने लगी। नीतीश सरकार इसे गम्भीरता से लिया और राज्य में शराब बन्दी कानून पारित कराकर महिलाओं को प्रताड़ित होने से बचाने का काम किया। इस कानून से भले ही राजस्व का स्त्रोत कम पड़ गया लेकिन गरीब, मजदूर परिवारो को आर्थिक लाभ होने के साथ–साथ राज्य में शांति का माहौल कायम हुआ। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए चालाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं का वर्णन निम्न प्रकार हैः–

स्थानीय स्वशासन मे आरक्षणः–

संविधान के 73 वाँ संशोधन 1993 के अनुसार तृस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को 33% आरक्षण दिया गया। बिहार सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देकर देश में महिला सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया। इस नये कानून से बिहार की महिलाएँ काफी सशक्त हुई और अपने को गौरवान्वित महसुस कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएँ वार्ड से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक की कुर्सी पर विरजमान हो रही है। मुखिया, सरपंच एवं प्रमुख की कुर्सी पर बैठकर महिलाएँ अब शान से पुरूष की बराबरी कर रही है। निश्चय ही इस आरक्षण से बिहार मे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या वौद्धिक क्षेत्र हो।

नौकरियों मे 35% आरक्षणः–महिलाओं को पूर्ण सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि उसे सरकारी सेवाओं या गैरसरकारी सेवाओं अथवा अर्द्धसरकारी सेवाओं मे भर्ती की जाय ताकि अपने वेतन से परिवार का अच्छे ढंग से भरण–पोषण कर सके और अपनी जीवन स्तर में सुधार ला सके। इस तथ्य को स्वीकारते हुए नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी सेवाओं मे 35% आरक्षण देने का सराहनीय कार्य किया है। आज बिहार की महिलाएँ सरकारी नौकरी पाकर काफी संतुष्ट हो रही है जिससे उनमें आत्मबल की वृद्धि हो रही है।

महिला साईकिल योजनाः– राज्य सरकार महिलाओं को शिक्षित कर उनमे जागृति लाने और योग्य बनाने के उद्देश्य से साईकिल योजना की शुरूआत किया। महिलाओं को शिक्षा के प्रति झुकाव के लिए और दूर दराज विद्यालयों मे जाने की सुगमता के लिए यह योजना काफी सफल हो रहा है। लड़कियाँ घर की छोटी–मोटी कार्यो का भी सम्पादन कर समय पर स्कूलों मे पहुँच जा रही है। इस योजना का

लाभ ज्यादातर गरीब परिवारों को मिल रहा है। हालांकि यह योजना सभी वर्गो के महिलाओं के लिए लागू हो गया है।

''कक्षा 1 से 5 के 6,68138 छात्र– छात्राओं को मुख्यमंत्री साईकिल योजना के अन्तर्गत लाभ मिला है।''

'' 4,36,670 बालिकाओं को मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अनतर्गत साईकिल हेतु 87.33 करोड़ रूपये खर्च की गयी।'' 4 इसी प्रकार बालको को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा जिसमें वित रहित और अल्पसंख्यक स्कूल भी है।

बालिका पोशाक योजनाः– शिक्षा के प्रति महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरूआत की। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारो को आर्थिक मदद करना। हालांकि इसका लाभ सभी लोगो को मिल रहा है। '' 2009–10 में 1607498 महिला छात्रों को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत 112.52 करोड़ राशि उपलब्ध।'' इस योजना का लाभ यह है कि इसके कारण स्कूलों मे छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। अब अक्षम गरीब परिवार के बच्चियाँ भी स्कूल जाने लगी है। साईकिल योजना और पोशाक योजना के चलते स्कूलों मे छात्राओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजनाः– राज्य में अभी भी निरक्षर महिलाओं की संख्या काफी है। अतः इन्हें भी समाज के मुख्यधारा मे लाना आवश्यक है। इससे निरक्षर महिलाओं मे भी जागृति आयेगी और उसके दशा में भी परिवर्तन होगा। इसलिए नीतीश सरकार ने 9 अगस्त 2009 को इस योजना की शुरूआत की। '' राज्य में 40,00,000 निरक्षर महिलाओं को छः माह की अवधि में 2,00,000 अक्षर दूतो के माध्यम साक्षर करने के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना 9 अगस्त 2009 को प्रारंभ।''

हुनर कार्यक्रमः– हुनर कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है। जिसमे कलात्मक दृष्टि से सक्षम महिलाओं को 2500 रू0 प्रति छात्रा को मदद की जाती है। इसके अन्तर्गत'' हुनर कार्यक्रम के अन्तर्गत सफल 12000 अल्पसंख्यक समूह की बालिकाओं को औजार योजना के अन्तर्गत टूलकिट के लिए 2500 रू0 प्रति छात्रा की दर से उपलब्धा'' इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए दूसरे वर्ष 50000 बालिकाओ को लाभ देने का कार्य किया गया जिसमें 25000 मुस्लिम महिलाएँ और 25000 बालिकाएँ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की थी।

इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाने, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 4000 रू0 नकद राशि का भुगतान किया जाता है जिसमें 1.04 लाख महिलाएँ लाभान्वित हो गयी थी।

मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 60 लाख रू0 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वितीय निगम को उपलब्ध कराया गया। इस योजना से 600 महिलाएँ लाभान्वित हुई थी।

अल्पसंख्यक छात्रावासः– पटना विश्वविद्यालय में राज्य का प्रथम अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण हुआ तथा गया, आरा, सारण, पूर्वी चंपारण मे भी अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए छात्रावास बनाये गये। इससे अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।

पिछड़ा अति पिछड़ा महिला छात्रावासः– महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य में पिछड़े एण्वं अति पिछड़े छात्राओं के लिए भी छात्रावास बनाए गये जिसमें मुफ्त योजना को भी व्यवस्था है।

आँगनबाड़ी केन्द्र योजनाः– राज्य में सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के 534 प्रखण्डों में 80,797 आँगनबाड़ी केन्द्र खोले गये है जिसमें कार्य करने वाली सेविकाओं/सहायिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 63 केन्द्र स्थापित किये गये है। आँगनबाड़ी केन्द्रो पर स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस मनाया जाता है। आज कल आँगनबाड़ी केन्द्रो पर वनज मशीन एवं दवा की व्यवस्था है।

महिला छात्रवृति योजनाः– नीतीश सरकार द्वारा राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला छात्रवृति योजना शुरू की गयी है। जिसमें मैट्रिक (10 वीं) परीक्षा में प्रथम श्रेणी उतीर्ण छात्रा को 10000 रू0 छात्रवृति के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री परिदर्शन योजना अन्तर्गत राज्य के 2937 माध्यमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं के परिदर्शन के लिए प्रति विद्यालय 10000 रू0 एवं मध्य विद्यालयों (20319) को 10000 (दस हजार) प्रति विद्यालय राशि दी जाती है इससे छात्र–छात्राओं को शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ने के साथ–साथ ऐतिहासिक धरोहरो का ज्ञान भी प्राप्त होता है।

ऊँच कक्षाओं मे महिला को मुफ्त शिक्षाः– राज्य सरकार ने महिलाओं को ऊँच शिक्षा में अग्रसर रहने के लिए स्नातकोतर तक की कक्षाओ मे मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की है ताकि गरीब से गरीब छात्राएँ भी ऊँच शिक्षा ग्रहण कर सके।

महिला पुलिस बटालियनः– नीतीश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में पुलिस सेवा के अन्तर्गत महिलाओं को शामिल कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। आम जनता की सुरक्षा मे महिला

बटालियन की भूमिका सराहनीय देखी जा रही। महिला बटालियन ज्यादातर महिला अपराधियों की धड़–पकड़ मे सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है एवं महिलाओं की तलासी मे इसी बल का प्रयोग किया जा रहा है।

विधवा पेंशन योजनाः– भारतीय समाज में विधवाओ की स्थिति काफी चिन्ताजनक कही जा सकती हैं उन्हें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान मे शामिल नही किया जाता है बल्कि उनकी उपस्थिति को आशुभ माना जाता है। उनकी जीवन यापन या परिवरीश के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा हो जाता है। इस असहाय पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए नीतीश सरकार द्वारा विधवा पेंशन शुरू किया गया जो सभी वर्गो की स्त्रियों के लिए समान रूप से लागू है। पेंशन की राशि 500 रू0 प्रति माह उनके खाते में डाला जाता है।

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अलग से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण कॉलेज खोले गये। '' 2009 के रिपोर्ट कार्ड में दर्ज राज्य में 17 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये।''

A.N.M एवं नर्स ग्रेड– A की नियुक्तिः– महिलाओ को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं को ए0 एन0 एम0 एवं नर्स ग्रेड– A के पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्ति की गयी थी। कोरोना– 19 काल मे महिला ए0 एन0 एम0 की बड़ी मात्रा में नियुक्ति की गयी ।इन नियुक्तियों से महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ''2009 के रिपोर्ट कार्ड मे दर्ज ए0 एन0 एम0 6000 एवं नर्स ग्रेड– A 2374 नियुक्त कि गयी है।''

राजकीय महिला पॉलिटेक्नीक की स्थापनाः– महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र मे बिहार सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया है। महिलाओ को कनीय अभियंता के पद पर भर्ती के लिए उन्हें शिक्षित करने हेतु अलग से पॉलिटेक्नीक कॉलेज खोले गये है जहां केवल महिलाओं का ही नामांकन लिया जाता है और शिक्षा दिया जाता है। इन संस्थाओं से बिहार मे हजारो महिलाएँ कनीय अभियंता की डिग्री ले चुकी है। इस प्रकार अभियंत्रण सेवाओं मे बिहार की महिलाएँ काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है जिससे उनकी स्थिति में काफी बदलाव आ रहा है।

निष्कर्षः– महिला सशक्तिकरण के मामले मे बिहार सरकार खासकर नीतीश कुमार द्वारा उठाएँ गये कदमो से आज बिहार की महिलाएँ काफी उत्साहित है। शिक्षा के क्षेत्र मे तो छात्रो की अपेक्षा छात्राओं का परीक्षाफल अच्छा दीख रहा है। स्थानीय स्वाशासन के क्षेत्र में 50% पदो पर महिला आरक्षण के

कारण महिलाएँ काफी सशक्त साबित हो रही है। प्रशासनिक पदो पर भी महिलाएँ अच्छा परिणाम दे रही है। दारोगा से लेकर पुलिस अधीक्षक के पदो पर आसीन हो रही है। बिहार की बेटिया वायु सेना, स्थल सेना और नेभी मे अच्छे–अच्छे पदो पर पहुॅच गयी है। हालांकि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र मे केन्द्र सरकार की गई योजनाओ की भी भूमिका रही है। जन–धन योजना के कारण महिलाएँ बैंकिग सेवा से जुड़ रही है। कौशल विकास से भी उनमे स्वरोजगार की क्षमता बढ़ी है। आकड़ो के अनुसार– '' स्टैंड अप इन्डिया मे महिलाओं की हिस्सेदारी 81%, मुद्रा ऋण मे 71%, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 37% और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27% है। यह रूझान उत्साह जनक होने के साथ ही देश के लिए गौरव का भी विषय है।'' इस प्रकार बिहार के साथ–साथ केन्द्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए। (मोदी सरकार) कई कार्यक्रम चला रही है। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण का एक मॉडल बन चुका है जिसका देखा देखी अन्य राज्य सरकारे भी कर रही है।

संदर्भः– सूची

1. Review of Politics. Vol. XVII Jan- June- 2009, Page No. 247
2. विकास प्रशासन, लेखक– डॉ ए0 पी0 अवस्थी, पृष्ट सं0– 298
3. विकास प्रशासन, लेखक– आनन्द प्रकाश अवस्थी, पृष्ट सं0– 303
4. रिपोर्ट कार्ड, 2009, पृष्ट सं0– 61
5. वही, 2011, पृष्ट सं0– 35
6. वही, पृष्ट सं0– 57
7. सूचना एवं जल संपर्क विभाग, बिहार सरकार
8. दैनिक जागरण, सम्पादकीय, 01 अगस्त 2022